श्री शशि भूषण
सं० उप निदेशक
1/5/19
7/6/19

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं0–07 / ले0(स्था0) विविध–19 / 2017– कृ0, पटना दिनांक मई, 2019

आदेश

श्री शशि भूषण, तत्कालीन छायाकार, कार्यालय उप निदेशक (शष्य), सूचना सम्प्रति प्रतिनियुक्त सहायक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, के दिनांक 01.09.2015 से 09.10.2015 तक करावास में रहने के प्राप्त सूचना के आधार पर आदेश ज्ञापांक 914 दिनांक 22.08.2017 द्वारा निलंबित किया गया। श्री भूषण द्वारा दिनांक 11.10.2015 के प्रभाव से योगदान समर्पित कियागया। श्री भूषण को माननीय न्यायालय, पटना के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के द्वारा एक वर्ष के साधारण सजा के साथ–साथ 40,000 / – (चालीस हजार) रूपये के आर्थिक दण्ड की सजा दी गई।

Criminal Revision Case No-766/2015 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.10.2015 से 09.10.2015 तक कारावास में बिताई गई अवधी को दण्ड मानते हुए मामले को खारिज किया गया है।

उक्त के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा परामर्श दिया गया है। परामर्श की कंडिका–8 में कहा गया है कि –''स्पष्टतः विचाराधीन मामले में क्योंकि श्री भूषण को एक अपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने के फलस्वरूप कारावास एव अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। अतः भारत संविधान के अनुच्छेद–311 की कंडिका–2 (क) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 की कंडिका–20(i) के प्रावधानों के आलोक में अभ्यावेदन देने का एक अवसर देते हुए सीधे दण्ड अधिरोपित किया जाना है। इस मामले में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।''

प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री भूषण के विरूद्ध पूर्व से विभागीय कार्यवाही का आदेश ज्ञापांक 364 दिनांक 06.08.2018 के द्वारा निरस्त किया गया। उनसे प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 08.06.2018 की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री शशिभूषण सक्षम न्यायालय से दोषी करार है एवं कारावास की सजा काट चुके है। उनके आचरणसे सरकार की छवि धूमिल हुई है। साथ ही कारावास में रहने

2

की सूचना छिपाने का भी कुत्सित प्रयत्न इनके द्वारा किया गया है। समीक्षोपरान्त श्री शशि भूषण, तत्कालीन छायाकार, कार्यालय उप निदेशक (शष्य), सूचना सम्प्रति प्रतिनियुक्त सहायक, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश मे प्रमाणित आरोपों के आलोक में भारत संविधान के अनुच्छेद–311 की कंडिका–2 (क) तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका–20 (i) के प्रावधानों के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह०/–
कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक कृ0, पटना दिनांक मई, 2019

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक 324 दिनांक 31/ मई, 2019

प्रतिलिपि :– उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) कार्यालय, मीठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.05.19
कृषि निदेशक,बिहार,पटना

30.05.19

(2) 04/06/19